

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान


नारायण वगै०

बनाम

रुघनाथ वगै०

2025

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बिन्दु सं० 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 81 रकबा 1.3700 है० वाकै ग्राम मीणों का बाढ, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर की चारों तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया।</p> <p>अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट, अप्रार्थी सं० 1, 4, 7, 9 द्वारा दी गई सहमति एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम मीणों का बाढ, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 81 रकबा 1.3700 है० में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें।</p> <p>निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाढ पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।</p>	

  
(लक्ष्मी मीना) ~~जिला जयपुर~~  
उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ